न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, कोडरमा।

विविध अनुमति वाद संख्या–**96/2023**

प्रसंगः–**बिन्दा देवी – बनाम – शंकर पासवान**

आदेश

प्रस्तुत वाद उपायुक्त, कोडरमा के आदेशानुसार प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, कोडरमा के पत्रांक–1490/विधि दिनांक –21/12/2023 द्वारा भूमि बिक्री करने की अनुमति से संबंधित वाद प्राप्त हुआ है। आवेदिका बिन्दा देवी, पति स्व0 राम लखन पासवान, जाति दुसाध, ग्राम बरसोतियाबार, पोस्ट–थाना–कोडरमा, जिला–कोडरमा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 (i)(b) के तहत् मौजा– कोडरमा, थाना नं0–333, खाता नं0–60, प्लॉट नं0–1608, रकवा –13 डी0 मधे बिक्री रकवा–6.50 डी0 भूमि श्री शंकर पासवान, पिता बबुन पासवान, जाति दुसाध, साकिन ग्राम फुलवरिया, थाना– नवलशाही जिला– कोडरमा को बिक्री करने हेतु अनुमति माँगा गया है।

अचल अधिकारी, कोडरमा का पत्रांक–486 दिनांक–13.03.2024 के द्वारा प्रस्तावित भूमि का जाँच प्रतिवेदन विहित् प्रपत्र में प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि मौजा– कोडरमा, थाना नं0–333, खाता नं0–60, प्लॉट नं0–1608, रकवा –13 डी0, मधे बिक्री रकवा–6.50 डी0 उक्त भूमि पंजी II में विक्रता के नाम से जामाबंदी दर्ज है। साथ ही इन्होने मौजा– कोडरमा, थाना नं0–333, खाता नं0–60, प्लॉट नं0–1608, रकवा –13 डी0 भूमि की जमाबंदी जानकी दुसाध वो बंशी दुसाध के नाम से पंजी II के पेज नं0 154/15 में एवं मौजा– रतिथमाई, खाता नं0–39, रकवा –4.84 एकड़ की जमाबंदी कार्तिक दुसाध, जानकी दुसाध, बंशी दुसाध के नाम से पंजी II के पेज नं034/6 में दर्ज है। भूमि बिक्री अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं। क्रेता एवं विक्रेता एक ही जाति के हैं एवं एक ही जिला के निवासी हैं प्रतिवेदित किया गया है, साथ ही अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति दिया जा सकता है, का मंतव्य दिया गया है।

विक्रेता एवं क्रेता अपने–अपने साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रस्तुत कागजात के अनुसार विक्रेता बिन्दा देवी, पति स्व0 राम लखन

पासवान, का अंचल अधिकारी, कोडरमा, द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या–JHCSC/2023/97939 दिनांक–01.09.2023 के अनुसार जाति के दुसाध, है एवं आवासीय प्रमाण पत्र संख्या– JHLRCO/2023/613480 दिनांक–05.09.2023 के अनुसार बिन्दा देवी, पति स्व0 राम लखन पासवान, निवासी ग्राम बरसोतियाबार, पोस्ट–थाना–कोडरमा, जिला–कोडरमा के निवासी है। क्रेता शंकर पासवान, पिता बबुन पासवान, जाति प्रमाण पत्र संख्या–JHCSC/2023/63288 दिनांक–16.06.2023 जो अंचल अधिकारी, डोमचांच द्वारा निर्गत है के अनुसार क्रेता जाति के दुसाध है। अंचल अधिकारी, डोमचांच द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संख्या– JHLRCO/2023/398662 दिनांक–13.06.2023 के अनुसार क्रेता श्री शंकर पासवान, पिता बबुन पासवान निवासी ग्राम फुलवरिया, थाना– नवलशाही जिला– कोडरमा के निवासी है। इस प्रकार क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जाति, एक ही, जिला के निवासी है। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति नही किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन एवं मंतव्य के आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (i)(b) 2^{nd} provision के तहत् प्रश्नगत भूमि मौजा– कोडरमा, थाना नं0–333, खाता नं0–60, प्लॉट नं0–1608, रकवा –13 डी0, मधे बिक्री रकवा–6.50 डी0 भूमि श्री शंकर पासवान, पिता बबुन पासवान निवासी ग्राम फुलवरिया, थाना– नवलशाही जिला– कोडरमा के नाम से बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। यह आदेश उपायुक्त, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक–2620/गो0 दिनांक–29.09.2011 के तहत् निर्गत आदेश से अच्छादित रहेगा। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, कोडरमा एवं अंचल अधिकारी, कोडरमा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2024.06.28 15:58:59 +05:30
Location: 192.168.29.40

अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।